

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.**Supply Revision No.- 89/2016****Raj Kumar Sah & Anr Appellants.****Versus****The State of Bihar & Anr Respondents.**

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	06.10.2023	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद न्यायालय, समाहर्ता, पूर्णिया द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं०-188/2014 में दिनांक-16.09.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है।</p> <p>आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अनुपस्थित चले आ रहे हैं। दिनांक-06.05.2021/23.12.2021 से आवेदक के लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि उन्हें वाद के निष्पादन में कोई अभिरुचि नहीं रह गई है। वाद को अनावश्यक लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उपर्युक्त के आलोक में आवेदक के लगातार अनुपस्थिति एवं अभिरुचि के आभाव में प्रस्तुत वाद को "प्रमाद में खारिज" (Dismissed for Default) किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित।</p> <p style="text-align: center;">आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।</p> <p style="text-align: center;">आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।</p>	

--	--	--	--

Web Copy. Not Official.